**बिहार सरकार**

**परिवहन विभाग**

**का0आ0सं0–07/स्था0–12–04/2026, परि0** **पटना, दिनांक–**

**कार्यालय आदेश**

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्र सं0–837, दिनांक–04.04.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री हेमन्त कुमार प्रसाद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरूद्ध कुचायकोट थाना, गोपालगंज में प्राथमिकी सं0–159/26, दिनांक–31.03.2026 धारा–308(5)/352/61(2) एवं 7/8/12/13 Prevention of Corruption Act दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश सं0–2785, दिनांक–10.04.2026 द्वारा श्री हेमन्त कुमार प्रसाद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2) के तहत गिरफ्तार किये जाने की तिथि 31.03.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री प्रसाद दिनांक–14.05.2026 को जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक–15.05.2026 को जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज में योगदान समर्पित किया है।

4. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(i) के संगत प्रावधानो के तहत श्री हेमन्त कुमार प्रसाद का योगदान दिनांक–15.05.2026 से स्वीकृत करते हुए योगदान की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा तत्काल प्रभाव से जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज में पदस्थापित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज/संयुक्त आयुक्त –सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा)/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री हेमन्त कुमार प्रसाद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4048 पटना, दिनांक– 25/05/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.5.26

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।